

प्रभक,

लक्ष्मी चन्द,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2

लखनऊ

दिनांक 8 दिसम्बर 1994

दिसम्बर 1994

विषय :- उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम में चिकित्सा नियमावली को लागू किया जाना।

महोदय,

उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम के सम्युक्त विषयक पत्र संख्या-3270

एफए/93/349एफए/88 दिनांक 3-1-1994 के संख्या में मुझे यथा सूचित करने की आज्ञा की गयी है कि उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या-3314एफए/94-349एफए/88 दिनांक 1-12-94 के साथ भेजी गयी प्रस्तावित चिकित्सा नियमावली को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये लागू करने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

ह०/-

लक्ष्मी चन्द
सचिव